



B S N L Employees Union

M.P. Circle, BHOPAL

(Regd. No. 4896)

(The Only Recognised union in BSNL)

OFFICE: 1195, Lal Kothi, Near Brij Sweets, Shahi Naka Road, Gulauatal, Garha, JABALPUR, (MP)

Phone:- 0761-2425789

Website:- www.bsnleump.org

Mobile:- 94251 24499

Circle Secretary

Email: srnayak68@yahoo.in

Circle President

S.R.Nayak

B.S.Raghuwanshi

क्रमांक: बीएसएनएलईयूएमपी /

दिनांक 23-01-2012

फ्लेश न्यूज

जबलपुर में यूनाइटेड फोरम द्वारा आन्दोलन

स्थानीय मांगों को लेकर जबलपुर में, बी एस एन एल ई यू के नेतृत्व में यूनाइटेड फोरम ने आन्दोलन शुरू कर दिया है। यूनाइटेड फोरम के नेताओं का कहना है कि जी एस टी डी जबलपुर में नियम-कायदे का प्रशासन चलाना ही उनकी प्रमुख मांगें हैं। दिनांक 23-01-2012 को यूनाइटेड फोरम के नेतृत्व में जी एम टी डी कार्यालय जबलपुर के समक्ष प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कार्यक्रम जारी रखने की घोषणा करते हुए यूनाइटेड फोरम ने अनिश्चित कालीन धरना कार्यक्रम आयोजित करने की भी घोषणा की है। हम जिला प्रबन्धन जबलपुर से आशा करते हैं कि वह एक परिपक्व प्रबन्धन का परिचय दे तथा यूनाइटेड फोरम के नेताओं से बात-चीत करके न्याय प्रिय प्रशासन चलावें।

3जी गड़बड़ी पर कानूनी लड़ाई

सर्व विदित है कि प्राइवेट टेलीकॉम कम्पनियों ने आपस में ग्रुप बनाकर 3 जी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए बोली (Oxen) में शामिल हुई थीं। परिणाम स्वरूप इन कम्पनियों ने कुछ सर्किलों के लिए 3 जी स्पेक्ट्रम की फीस जमा करके सभी सर्किलों में 3 जी सेवाएं देना शुरू कर दिया है। डी ओ टी ने प्राइवेट कम्पनियों के इस कदम को गैर कानूनी कहते हुए उन्हें नोटिस दिया था कि वे उन सर्किलों में 3 जी सेवाएं देना बन्द करें जहां के लिए उनसे लायसेंस प्राप्त नहीं किया है। डी ओ टी के इस आदेश को प्राइवेट कम्पनियों ने टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटिलमेंट अथॉर्टी ट्रिब्यूनल (TDSAT) में चुनौती दी है। DOT का कहना है कि टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटिलमेंट अथॉर्टी ट्रिब्यूनल (TDSAT) पॉलिसी के मुद्दों पर निर्णय देने के लिए सक्षम नहीं है। किन्तु टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटिलमेंट अथॉर्टी ट्रिब्यूनल (TDSAT) ने DOT की इस दलील को खारिज कर दिया है। सम्भवतः अब यह प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। कुछ भी हो, बी एस एन एल से तो 18500 करोड़ रुपये झटक लिए गए हैं। BSNL के लिए न्यायालय के दरवाजे बंद हैं क्योंकि सरकारी अधिकार सरकार के विरुद्ध न्यायालय नहीं जा सकते।